न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा।

दिनॉक: 01.01.2018

सुना। प्रार्थी/अभियुक्त अमरचन्द्र पुत्र भूपत, मुकदमा अपराध संख्या 477/2017 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना श्रीनगर में वांछित अभियुक्त है।

अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके जमानत की याचना की है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अपराध को गैर जमानतीय बताते हुये जमानत का विरोध किया है।

अभियुक्त के कब्जे से दो अदद दाना मेन्ट व तार में बंधा दो ई0 डी0 बरामद होना कहा गया है।

अपराध गंभीर प्रकृति का, गैर जमानतीय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी अमरचन्द्र पुत्र भूपत का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(नवीन कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महोबा।